राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियाँ

प्रदेश में नगरीय निकायों की सीमा घटाने-बढ़ाने पर हायकोर्ट की रोक

- 13 नवंबर, 2019 को म.प्र. हायकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ ने नगर निगम और नगर पालिका की सीमाओं को घटाने-बढ़ाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने परिसीमन को लेकर 23 और 27 फरवरी, 2019 को जारी अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हुए सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है।
- शासन ने 23 फरवरी, 2019 को एक अधिसूचना जारी करते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन के लिए आपत्ति बुलाने के अधिकार कलेक्टरों को सौंप दिए थे। इसके पूर्व तक यह अधिकार सिर्फ राज्यपाल के पास था।
- अधिसूचना पर अमल करते हुए इंदौर कलेक्टर ने 27 फरवरी को एक अन्य अधिसूचना जारी कर नैनोद और बाक ग्रामीण इलाकों को इंदौर नगर पालिका निगम की सीमा में शामिल करने के संबंध में आपत्ति बुलवा ली।
- इन दोनों गाँवों को इंदौर नगर निगम की सीमा में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दो याचिकाएँ दायर की गई।
- पाँच नवंबर को जस्टिस एससी शर्मा और शैलेन्द्र शुक्ला की बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। 13 नवम्बर को याचिकाकर्ताओं की दलील को सही मानते हुए स्टे दिया कि निगम एक्ट की धारा 405 के तहत नगर सीमा में बढ़ोत्तरी या कमी करने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को होता है, कलेक्टर को नहीं।

राज्यपाल द्वारा म.प्र. नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2019 अनुमोदित

- राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2019 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। राज्यपाल श्री टंडन से मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गत दिवस राजभवन में भेंट कर अध्यादेश में होने वाले बदलावों के सभी पहलुओं और उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी थी।
- मुख्यमंत्री ने अध्यादेश पर चर्चाओं के संबंध में राज्यपाल को बताया कि जिन लोगों ने राजभवन की गरिमा के खिलाफ अध्यादेश को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाकर राज्यपाल पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, वह उनके निजी विचार हैं। सरकार का उन विचारों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ मर्यादाओं का पालन जरूरी है।
- राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्यपाल श्री टंडन ने श्री कमल नाथ द्वारा चर्चाओं की सम्पूर्ण परिस्थितियों और अध्यादेश के संबंध में दिये गये विवरण से संतुष्ट होकर अध्यादेश अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

म.प्र. सरकार के अध्यापकों को नवंबर से मिलेगा 7वां वेतनमान

- म.प्र. सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के 1.84 लाख अध्यापकों को नवंबर से 7वां वेतनमान मिलेगा।
- दीपावली से एक दिन पहले 26 अक्टूबर, 2019 को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने इसकी घोषणा की।
- नए आदेश के मुताबिक इससे श्रेणीवार अध्यापकों को हर महीने 5 से 8 हजार रुपए तक का फायदा होगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 23 हजार वरिष्ठ, 44 हजार अध्यापक और 1.17 लाख सहायक अध्यापक हैं।
- इन 1.84 लाख अध्यापकों को जनवरी 2019 में नए कैडर म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में शामिल कर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नए पदनाम दिए गए। 53 हजार अध्यापक आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत स्कूलों में पदस्थ हैं।

सागर जिले के ग्राम उदयपुर में सुनार नदी पर बनेगा पुल

- कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव ने 8 नवम्बर, 2019 को सागर जिले के केसली तहसील के ग्राम उदयपुर (गुटौरी) में सुनार नदी पर प्रस्तावित पुल का भूमि-पूजन किया।
- दो करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2 द्वारा किया जायेगा।
- भूमि-पूजन कार्यक्रम में मंत्री श्री यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्र के निवासियों द्वारा सुनार नदी पर पुल के निर्माण की माँग लम्बे समय से की जा रही थी। इसके मद्देनजर आज पुल के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- इस पुल के निर्माण से निकटवर्ती ग्रामों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। श्री यादव ने कहा कि सुनार नदी पर बाँध बनाने के लिये भी सर्वे कार्य आरंभ किया जा रहा है।

गोंड जनजाति कला वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ 15 अक्टूबर 2019 को मंत्रालय में संस्कृति विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश के इतिहास और विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए आम लोगों की भावनाओं के अनुसार व्यापक पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक गोंड जनजाति के आदिवासी भाई मध्यप्रदेश में निवास करते हैं।
- स्थापना दिवस पर गोंड जनजाति की कला और उनके विशिष्ट कार्यों को पूरे देश में प्रचारित किया जाए। उन्होंने गुरुनानक जी के 550वें प्रकाश पर्व, 14 नवम्बर को पं. जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस और 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्य-तिथि पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा है।
- मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर चल रहे कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी देने को कहा
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों एवं कलाकारों की मासिक सहायता और चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखने के

अलीराजपुर को मिली ट्रेन की सौगात

- म.प्र. का आदिवासी बहुल और विकास की दृष्टि से पिछड़ा माना जाने वाला जिला अलीराजपुर को आजादी के 72 साल बाद 30 अक्टूबर, 2019 को ट्रेन की सौगात मिल गयी है।
- 48.5 किमी. रेल लाइन वाले इस रूट से अलीराजपुर में पहली यात्री ट्रेन 30 अक्टूबर को गुजरात के छोटा उदयपुर से पहुँची।
- राज्यसभा सांसद नारायणभाई राठवा और छोटा उदयपुर से सांसद गीताबेन राठवा ने ट्रेन को दोपहर 12 बजे हरी झंडी दिखाकर अलीराजपुर रवाना किया।
- इस रेल लाइन का शिलान्यास 8 फरवरी, 2008 में हुआ था. 11 साल के इंतजार के बाद पहली ट्रेन यहां पहुँची।
- अलीराजपुर में बस शुरु होने के 84 साल बाद पहली यात्री ट्रेन आई है।
- इसके साथ ही परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में धार तक ट्रेन चलाने की तैयारी है।
- पूरा 157 किमी. लम्बी इस लाइन की कुल लागत 1350 करोड़ रुपये है जिसे 2022 तक पूरा किया जाना है।
- अभी तक बस से बड़ोदरा आने-जाने पर 300 रु. चुकाने पड़ रहे थे। ट्रेन से एक तरफ की यात्रा पर 35 रु. ही चुकाने होंगे। आने-जाने में 230 रुपए की बचत।
- 50 फीसदी वनोपज का व्यापार करने वालों को रेल सेवा का फायदा होगा।
- गुजरात जाकर सब्जी, फल आदि बेचने पर 100 प्रश तक का लाभ।
- डोलोमाइट उद्योगों को रेल सेवा से जुड़ने पर सीधा लाभ होगा।

आई.आई.एम.इंदौर टॉप-100 में शामिल

- 29 अक्टूबर, 2019 को दुनियाभर के बिजनेस स्कूल के बीच होने वाली एफटी रैंकिंग (फाइनेंशियल टाइम) जारी हुई। इसमें आईआईएम-इंदौर ने टॉप 100 में जगह बनाई है।
- हालांकि रैंकिंग में काफी पीछे है, जिस आईआईएम-उदयपुर का मेंटर बनकर स्थापित और खड़ा करने में आईआईएम इंदौर ने अहम भूमिका निभाई, रैंकिंग में उससे ही पिछड़ गया। दोनों के बीच पाँच पायदान का अंतर है।
- मास्टर्स इन मैनेजमेंट (एमआईएम) 2019 में दुनियाभर से 111 बिजनेस स्कूल ने भाग लिया था। इसके अंतर्गत होने वाली एफटी रैंकिंग का 15वाँ संस्करण है।
- तय मापदंडों के आधार पर टॉप 100 की सूची 29 अक्टूबर को जारी हुई है। इसमें देशभर से आईआईएम कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, उदयपुर और इंदौर को रैंकिंग हासिल हुई है।
- इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, चीन, बेल्जियम, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के संस्थानों को सूची में जगह मिली है।
- पहला स्थान स्विट्जरलैण्ड का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेन को मिला। आईआईएम कोलकाता 17वें, आईआईएम अहमदाबाद 21वें, आईआईएम बेंगलुरु 44वें, आईआईएम उदयपुर 76वें और आईआईएम इंदौर 81वें स्थान पर रहा।
- एफटी रैंकिंग में उन बी-स्कूलों को शामिल किया है, जिनमें फुलटाइम कोर्स संचालित होते हैं। दो अलग-अलग सर्वे के आधार पर रैंक निर्धारित की गई है।
- 17 बिंदुओं पर संस्थानों को परखा गया है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में देश में म.प्र. 15वें स्थान पर

- स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। नीति आयोग ने 'स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' तैयार किया है, जिसमें 20 बड़े राज्यों की रैंकिंग में मध्यप्रदेश 15वें क्रमांक उसका पड़ोसी उत्तरप्रदेश सबसे निचले पायदान पर है।
- केरल पहले, जबकि राजस्थान दूसरे, गुजरात पाँचवें व महाराष्ट्र सातवें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ 13वें स्थान पर है।
- आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की है।
- स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 30 इंडीकेटर के आधार पर 20 बड़े राज्यों व आठ छोटे राज्यों की रैंकिंग की गई है। सबसे खराब प्रदर्शन वाले छह राज्यों में म.प्र., झारखण्ड, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तरप्रदेश है। बंगाल ने इस इंडेक्स में भाग नहीं लिया।
- मानकों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुँच, शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाएँ और प्रशासन जैसे इंडीकेटर शामिल है।
- यह इंडेक्स 2016-17 के आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें स्कूली विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों (लर्निंग आउटकम) के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है।
- मानकों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुँच, शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाएँ और प्रशासन जैसे इंडीकेटर शामिल है।

बड़े राज्यों का प्रदर्शन

रैंक	राज्य	रैंक	राज्य	रैंक	राज्य
1	केरल	8	तमिलनाडु	15	म.प्र.
2	राजस्थान	9	हिमाचल	16	झारखण्ड
3	कर्नाटक	10	उत्तराखण्ड	17	बिहार
4	आंध्र प्रदेश	11	हरियाणा	18	पंजाब
5	गुजरात	12	ओडिशा	19	जम्मू-कश्मीर
6	असम	13	छग	20	उ.प्र.
7	महाराष्ट्र	14	तेलंगाना		

मंदसौर, महेश्वर सहित 10 नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव

- प्रदेश के 10 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। इन कॉलेजों के खुलने से एमबीबीएस की 1500 सीटें बढ़ जाएँगी। नए कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
- प्रदेश सरकार ने मंदसौर, महेश्वर (खरगोन), गुना, बैतूल, बालाघाट, मंडला, राजगढ़, श्योपुर, छतरपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की है।
- प्रदेश में पहले सिर्फ छह सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। दो साल के भीतर सात नए कॉलेजों में दाखिले शुरु हो गए हैं। अब 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन

- 15 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक में शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने और शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने तथा गैर पेट्रोलियम वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया।
- इस नीति में चार्जिंग, अधोसंरचना विकास और इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन टैक्स में शत-प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी। प्रथम पाँच वर्षों में नगरीय निकायों के अधीनस्थ संचालित पार्किंग में शत-प्रतिशत रियायत का प्रावधान भी है। इसके साथ ही इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित कर नये रोजगार सृजित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन

- 15 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया।
- गौण खनिज आधारित न्यूनतम 25 करोड़ रुपये निवेश से नवीन उद्योग/विस्तार के प्रस्तावों पर दो करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लेने पर सीधे उत्खनन पट्टा आवंटन किया जाएगा। अनुसूची-एक में मैन्युफेक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) के नाम से एक नये गौण खनिज को जोड़ा जा रहा है, जिसकी रॉयल्टी 50 रुपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है।
- इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर के साथ अतिरिक्त खनिज राजस्व भी प्राप्त होगा। ग्रेनाईट एवं अन्य आकारीय पत्थर की खदानों में अतिरिक्त मात्रा में निकलने वाले अनुपयोगी पत्थर (वेस्ट) के विक्रय की व्यवस्था नहीं है।
- इस पत्थर की माँग निर्माण सामग्री के लिए काफी है। अतः ऐसे अनुपयोगी पत्थर को गिट्टी/बोल्डर निर्माण के लिए अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 9 पर जोड़ा जा रहा है, जिसकी रॉयल्टी 120 रुपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है। इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए गौण खनिज सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।
- अनुसूची-एक और दो के चार हेक्टेयर तक के क्षेत्र जिले के कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्वीकृत कर सकेंगे। चार हेक्टेयर से अधिक पर 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म स्वीकृत कर सकेंगे तथा राज्य शासन की पूर्व अनुमति से इन खनिजों के 250 हेक्टेयर तक के क्षेत्र संचालक स्वीकृत कर सकेंगे।

उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन

- 15 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। इसके अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाईल्स और पॉवरलूम जैसे चयनित सेक्टर्स के लिए रियायतों के विशेष पैकेज, यंत्र-संयंत्र के साथ-साथ भवन पर भी अनुदान तथा महिला/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयों को अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019' को अनुमोदन प्रदान किया। यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू की जाएगी। इससे इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि होगी। इससे नवाचार युक्त एवं नवीन प्रोडक्ट्स के साथ अपना स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक प्रदेश के नव उद्यमी लाभान्वित होंगे।

बेड एन्ड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित

- 15 अक्टूबर, 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजनाओं के प्रवर्तन के क्रम में मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 को अनुमोदन प्रदान किया।
- योजना का उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास और नाश्ता/भोजन सुविधा प्रदाय करना, देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति तथा आतिथ्य से परिचित कराना, नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना है।

म.प्र.निकाय चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली से

- 25 सितंबर, 2019 को म.प्र. के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिये गए महत्वपूर्ण फैसले के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में चली आ रही महापौर व अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की 20 साल पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है ।
- कमलनाथ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव की मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया है । अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव मतदाता नहीं, बल्कि पार्षद करेंगे ।
- कैबिनेट ने नगरीय विकास विभाग के नगर पालिका अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । अगले साल मार्च में निकायों के चुनाव संभावित हैं । इसलिए सरकार ने 20 साल बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनने का फैसला लिया है ।
- संशोधित अधिनियम के मुताबिक निकाय चुनाव में परिसीमन और चुनाव के बीच की अवधि 6 माह से घटाकर 2 माह की गई है ।
- यदि पार्षद वित्त या अपराध संबंधी कोई गलत जानकारी देता या छिपाता है तो उसे छह महीने की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा ।
- हालांकि महापौर चयन प्रक्रिया बदलने का भाजपा ने विरोध किया । पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इससे पार्षदों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी ।
- उल्लेखनीय है कि महापौर और अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करीब 20 साल बाद होगा । 1994 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ था।
- सन् 1999 से प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से नगर निगम में महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है ।
- उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 अक्टूबर, 2019 को राज्यपाल लालजी टंडन ने नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2019 पर अपने हस्ताक्षर कर दिये ।

कॉलोनी विकास के लिए दो हेक्टेयर का बन्धन खत्म

- रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने कॉलोनी बनाने के लिए दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी है ।
- 5 अक्टूबर, 2019 को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास नीति 2007 में बदलाव को मंजूरी दे दी गई । इससे प्लानिंग एरिया में अब 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा सकेगी ।
- पहले कॉलोनी के लिए जमीन सीमा 8 से 10 हेक्टेयर थी । नीति में बदलाव का फायदा उन बड़े-छोटे कॉलोनाइजर्स को होगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन का हिस्सा खाली पड़ा है ।
- इसके अलावा, न्यूनतम दो हेक्टेयर भूमि के उपयोग के बाद जो हिस्सा खाली बचता था, उस पर बाद में अवैध कॉलोनियां बन जाती थीं । नए बदलाव से इस पर रोक लगेगी ।

राष्ट्रीय उद्यानों के प्रभावी प्रबंधन में शीर्ष पर मध्यप्रदेश

- मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है।
- बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिज़र्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि वन्य-जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।
- टाइगर रिज़र्व की प्रबंधन क्षमताओं का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्ट्राइकिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।
- देश में पेंच टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया।
- मानव-बाघ और बाघ-पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं।
- इसी तरह, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व ने बाघ पर्यटन से प्राप्त राशि का उपयोग करके ईको विकास समितियों को प्रभावी ढंग से पुनर्जीवित किया है।
- कान्हा टाइगर रिज़र्व ने अनूठी प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया है। कान्हा पेंच वन्य-जीव विचरण कारिडोर भारत का पहला ऐसा कारिडोर है। इस कारिडोर का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है।
- पार्क प्रबंधन ने वन विभाग कार्यालय के परिसर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है, जो वन विभाग के कर्मचारियों और आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिये लाभदायी सिद्ध हुआ है।
- पन्ना टाइगर रिज़र्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। शून्य से शुरू होकर अब इसमें वयस्क और शावक मिलाकर 52 बाघ हैं। यह भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है।

राजनैतिक मामलों की मंत्रि-परिषद समिति पुनर्गठित

- राज्य शासन ने राजनैतिक मामलों के लिये गठित मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ समिति के अध्यक्ष होंगे।
- समिति में मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविंद सिंह, श्री बाला बच्चन, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री उमंग सिंघार, श्री जीतू पटवारी तथा श्री तरुण भनोत को सदस्य बनाया गया है। मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उज्जैन में बना प्रदेश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट

- 11 जून 2019 को उज्जैन के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बने प्रदेश के पहले बाल हितैषी न्यायालय (चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट) का लोकार्पण हुआ।
- मुख्य अतिथि मप्र उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के पोर्टफोलियो न्यायाधीपति रोहित आर्या थे। विशेष अतिथि मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य प्रताप मेहता और मंडल अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव थे। ।
- 21 लाख की लागत से बना बाल हितैषी न्यायालय प्रदेश का पहला बाल हितैषी न्यायालय है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत देश के सभी न्यायालयों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित किए जाना है।
- न्यायालय में गवाही देने के लिये पेश होने वाले बच्चों को बिलकुल पारिवारिक माहौल दिया जायेगा ताकि वे बिना किसी डर के अपना बयान दे सकें। इस न्यायालय को किशोर वर्ग और बाल्य वर्ग के बच्चों के अनुकूल बनाया गया है।
- न्यायालय में एक एक्यूस्ड बॉक्स भी बनाया गया है। इसके अंदर आरोपी को बैठाया जायेगा। इस बॉक्स के चारों ओर काली फिल्म की परत चढ़ाई गई है ताकि बच्चा आरोपी को देख न सके।
- उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उज्जैन कोर्ट में बाल हितैषी न्यायालय की स्थापना हुई है। इस कोर्ट में बच्चों को पारिवारिक दोस्ताना माहौल मिलेगा, जिससे वे अपने साथ या उनकी मौजूदगी में हुए किसी भी अपराध को बातचीत में ठीक से बता सकें।

थावर चंद गहलोत राज्यसभा में नेता सदन

- भाजपा ने जून 2019 से राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह थावर चंद गहलोत को सौंप दी है। गहलोत मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
- थावर चंद गहलोत को दूसरी बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। वे बीजेपी के दलित चेहरों में से एक हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मामलों के मंत्री रहे हैं।
- थावर चंद गहलोत का जन्म 18 मई 1948 को मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में हुआ था। उन्होंने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। गहलोत 1996 से 2009 के दौरान शाजापुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं।
- 2012 में थावर चंद गहलोत राज्यसभा सदस्य चुने गए, 2018 में उन्हें दोबारा राज्यसभा सदस्य चुना गया। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 2024 में खत्म होगा।

डॉ वीरेंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर

- 17वीं लोकसभा के लिए मध्यप्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।
- 17 जून 2019 की सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सांसद के रूप में लोकसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया।
- वीरेंद्र कुमार सात बार सांसद बन चुके हैं। वह चार बार टीकमगढ़ लोकसभा और तीन बार सागर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
- वर्तमान में वह टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी किरण अहिरवार को लगभग 3.48 लाख वोटों से हराया था।
- वीरेंद्र कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 27 फरवरी 1954 को हुआ था। पहली बार 1996 में सागर संसदीय सीट से वह सांसद चुने गए थे।
- उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और बाल श्रम संबंधी विषय पर पीएचडी की है। वह कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।
- वीरेंद्र कुमार बचपन में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर काम करते थे।
- प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है, जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। सरल शब्दों में कहें, तो कार्यवाहक और अस्थायी अध्यक्ष ही प्रोटेम स्पीकर होते हैं।
- सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी तौर पर वे सदन के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक सदस्य स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न कर लें।
- हालांकि लोकसभा अथवा विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर की जरूरत तब भी पड़ती है, जब सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों का पद खाली हो जाता है। यह स्थिति तब पैदा हो सकती है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा वे अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें।

छिंदवाड़ा में केन्द्रीय जेल की स्थापना

- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की 11 जून, 2019 मंत्रालय में हुई बैठक में छिंदवाड़ा में आजीवन कारावासी बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 1000 बंदी क्षमता की केन्द्रीय जेल एवं विचाराधीन बंदियों के लिए 700 बंदी क्षमता की जिला जेल, (नवीन जेल) निर्मित करने और नवीन जेल कम्प्लेक्स बनने के बाद पुरानी जेल की भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली

- मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को 10 जून, 2019 को मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 126 छिंदवाड़ा में हुए उपचुनाव में विजयी हुए हैं।
- मध्यप्रदेश विधानसभा विधान परिषद हॉल में हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह मौजूद थे।

एप्को भवन में रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना

- प्रदेश में शासकीय कार्यालयों में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में जून 2019 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भवन में 50 किलोवाट क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है।
- इस संयंत्र से विगत एक वर्ष में 92 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हुआ है, जिससे लगभग 84 टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन रोकने में सहायता मिली है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एप्को संगठन में सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
- एप्को द्वारा भोपाल के अरेरा कालोनी स्थित पर्यावरण परिसर में रि-सायकिल पेपर इकाई की स्थापना भी की गई है। वर्तमान में इकाई द्वारा पर्यावरण परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों से उपयोग किये गये कागजी अपशिष्ट को रि-सायकिल कर कार्यालयीन उपयोगी स्टेशनरी और पेपर फोल्डर का निर्माण किया जा रहा है।

म.प्र. में पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च सीमा तय

- लोक सभा, विधानसभा चुनाव में जन प्रतिनिधियों की चुनावी खर्च सीमा की भाँति अब म.प्र. के नगरीय निकायों के पार्षद प्रत्याशियों के लिए भी चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
- दरअसल म.प्र. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है।
- जिस नगर पालिका निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की आबादी है, वहां पार्षद प्रत्याशी 8 लाख 75 हजार रुपए तक चुनावी प्रचार में खर्च कर सकेंगे।
- नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पार्षदों की चुनावी खर्च की सीमा तय करने का निवेदन किया था। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल, 2019 को आयोग और नगरीय विकास विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

आयोग द्वारा तय सीमा

नगर पालिका निगम	
10 लाख से अधिक आबादी	8.75 लाख रु.
10 लाख से कम आबादी	3.75 लाख रु.
नगर पालिका परिषद	
1 लाख से अधिक आबादी	2.50 लाख रु.
50 हजार से 1 लाख आबादी	1.50 लाख रु.
50 हजार से कम	1 लाख रु.
नगर परिषद	75 हजार

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने म.प्र. का बराई गाँव लिया गोद

- 6 जून, 2019 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरकेएस) ने यह सुनिश्चित करने के लिए देशभर के पाँच गाँवों को गोद लिया है कि इन गांवों के लोग संस्कृत में बात कर पाएँ।
- इनमें म.प्र. का बुराई गाव भी शामिल है। यह गांव ग्वालियर जिले के घाटीगाँव ब्लॉक में स्थित है।
- राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये तीनों केन्द्रीय संस्थान है, जो 3,500 साल से भी अधिक पुरानी भाषा संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

प्रदेश में निवेश को तेजी से लाने की नई पहल

- मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में 12 जून, 2019 को मंत्रालय में निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- मध्यप्रदेश में पहली बार निवेश के इच्छुक सात निवेशकों के 6 प्रस्तावों को सात दिन में मंजूरी दी गई। चार हजार करोड़ के निवेश से प्रदेश के 7500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें बेहतर एवं आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेगी।
- जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें मेसर्स सिंगरेनी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1400 करोड़, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का 125 करोड़, मेसर्स एच.ई.जी. लिमिटेड का 1200 करोड़, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का 600 करोड़ और मेसर्स नंदर सीमेंट लिमिटेड का 200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।
- मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जहाँ रोजगार अधिक है और जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसे क्षेत्र जैसे टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस जिसमें निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाएँ है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में वे सारी सुविधाएँ निवेशकों को उपलब्ध करवानी, चाहिए जिससे वे प्रोत्साहित हों।
- मुख्यमंत्री ने बैठक में निवेश संबंधी प्रस्तावों पर माह में एक बार केबिनेट कमेटी में समीक्षा के निर्देश दिए। इनमें ऐसे प्रस्ताव जिनमें नीतिगत या व्यवस्थागत कोई समस्या होगी उसका त्वरित निराकरण कर निर्णय लिया जाएगा।

म.प्र. लोक सभा चुनाव परिणाम-2019

- प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2019 में 71.10 प्रतिशत मतदान हुआ है जो अब तक प्रदेश में हुए पिछले सभी लोकसभा चुनावों का सर्वाधिक मतदान है।
- इस चुनाव में 73.54 प्रतिशत पुरुष और 68.64 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
- वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 61.57 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव में वर्ष 2014 की तुलना में 9.53 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है।
- प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में चार चरणों में मतदान कराया गया है। प्रथम चरण के 6 संसदीय क्षेत्र में 74.88 % मतदान हुआ। इसमें 75.66 % पुरुष और 74.07 % महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
- प्रथम चरण में संसदीय क्षेत्र सीधी में 69.35 प्रतिशत, बालाघाट में 77.36 जबलपुर में 69.45, शहडोल में 74.58 छिंदवाड़ा में 82.10 एवं मण्डला में 77.62 प्रतिशत मतदान हुआ है।
- दूसरे चरण के 7 संसदीय क्षेत्र में 69.14 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें 71.14 % पुरुष और 66.92 % महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
- संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में 66.48 प्रतिशत, दमोह 65.83 खजुराहो 68.08, सतना 70.75, रीवा 60.39, होशंगाबाद 74.17 एवं बैतूल में 78.20 प्रतिशत मतदान हुआ।
- तीसरे चरण के 8 संसदीय क्षेत्र में 65.24 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें 69.05 प्रतिशत पुरुष और 60.91 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
- संसदीय क्षेत्र मुरैना में 61.67 प्रतिशत, भिण्ड में 54.49, ग्वालियर में 59.78, गुना में 70.02, सागर में 65.49, विदिशा में 71.62, भोपाल में 65.65 एवं राजगढ़ में 74.32 प्रतिशत मतदान हुआ है।
- चौथे और अंतिम चरण के 8 संसदीय क्षेत्र में 75.65 % मतदान हुआ है, जिसमें 78.52% पुरुष और 72.65 % महिला मतदाताओं ने मतदान किया।
- संसदीय क्षेत्र देवास में 79.48 प्रतिशत, उज्जैन में 75.33 मंदसौर में 77.79, रतलाम में 75.46, धार में 75.19, इंदौर में 69.35, खरगोन में 77.69 एवं खंडवा में 76.82 प्रतिशत मतदान हुआ।

लोकसभा निर्वाचन-2019 संपन्न

- भोपाल, विगत दिनों भारत में 17वीं लोकसभा के गठन के लिये सात चरणों में अंतिम चुनाव संपन्न कराये गये। मध्यप्रदेश में ये निर्वाचन 4 चरणों में संपन्न हुये। प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इन सीटों के परिणामों की जानकारी निम्न है-

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र	विजयी प्रत्याशी	कुल मतदाता	कुल मतदान	मतदान प्रतिशत	जीत का अंतर
1.	मुरैना	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	18,37,729	11,37,290	61.89	1,13,941
2.	भिण्ड	श्रीमती संध्या राय	17,65,334	9,60,667	54.42	1,99,885
3.	ग्वालियर	श्री विवेक शेजवलकर	20,00,744	11,96,096	59.78	1,45,042
4.	गुना	डॉ. के.पी. यादव	15,75,724	11,78,423	70.32	1,25,549
5.	सागर	श्री राजबहादुर सिंह	15,83,129	10,37,175	65.51	3,05,542
6.	टीकमगढ़	डॉ.वीरेन्द्र कुमार	16,47,399	10,96,712	66.57	3,48,069
7.	दमोह	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	17,68,777	11,64,229	65.82	3,53,411

8.	खजुराहो	श्री वी.डी. शर्मा	18,42,095	12,57,783	68.28	4,92,382
9.	सतना	श्री गणेश सिंह	15,75,064	11,13,656	70.71	2,31,473
10.	रीवा	श्री जनार्दन मिश्रा	16,79,534	10,13,251	60.33	3,12,807
11.	सीधी	श्रीमती रीति पाठक	18,45,547	12,82,705	69.43	2,86,524
12.	शहडोल	श्रीमती हिमाद्री सिंह	16,56,474	12,37,658	74.73	4,03,333
13.	जबलपुर	श्री राकेश सिंह	18,19,893	12,63,573	69.50	4,54,744
14.	मंडला	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	19,51,267	15,17,255	77.76	97,674
15.	बालाघाट	डॉ. ढालसिंह बिसेन	17,67,725	13,72,018	77.61	2,40,065
16.	छिंदवाड़ा	श्री नकुल कमलनाथ	15,14,793	12,46,091	82.39	37,536
17.	होशंगाबाद	श्री राव उदय प्रताप सिंह	17,05,141	12,65,869	74.19	5,53,682
18.	विदिशा	श्री रमाकांत भार्गव	17,41,604	12,50,244	71.79	5,03,084
19.	भोपाल	सुश्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर	21,42,861	14,07,954	65.70	3,64,822
20.	राजगढ़	श्री रोडमल नागर	16,94,329	12,60,329	74.35	4,31,019
21.	देवास	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी	17,60,503	13,98,946	79.46	3,72,249
22.	उज्जैन	श्री अनिल फिरोजिया	16,61,229	12,52,511	75.40	3,65,637
23.	मंदसौर	श्री सुधीर गुप्ता	17,69,875	13,70,667	77.84	3,76,734
24.	रतलाम	श्री गुमानसिंह डामोर	18,51,112	14,00,509	76.66	90,636
25.	धार	श्री छतरसिंह दरबार	17,56,151	13,44,132	75.25	1,56,029
26.	इंदौर	श्री शंकर लालवानी	23,50,580	16,29,108	69.31	5,47,754
27.	खरगोन	श्री गजेन्द्र उमराव सिंह	18,34,385	14,27,667	77.82	2,02,510
28.	खंडवा	श्री नंदकुमार सिंह चौहान	19,09,065	14,68,138	76.90	2,73,343
29.	बैतूल	श्री दुर्गादास उइके	17,37,437	13,57,857	78.15	3,60,241

लोकसभा चुनाव-2019

- 10 मार्च, 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा 17वीं लोकसभा के चुनाव व चार राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई । इसके अनुसार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई, 2019 तक होंगे तथा परिणाम 23 मई को घोषित होंगे ।
- इन सात चरणों में से म.प्र. में चार चरणों में से म.प्र. में 29 अप्रैल (चौथा चरण), 6 मई (पाँचवाँ), 12 मई (छठा) तथा 19 मई (सातवाँ चरण) में मतदान होगा ।
- चौथा चरण में 29 अप्रैल को 6 लोकसभा क्षेत्र सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, पाँचवाँ चरण में 6 मई को 7 लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में, छठा चरण में 12 मई को 8 लोकसभा क्षेत्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में, तथा सातवाँ चरण में 19 मई को 8 लोकसभा क्षेत्र देवास, उज्जैन, धार, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खरगोन, खंडवा में मतदान होगा ।
- लोकसभा चुनावों के साथ ही 29 अप्रैल, को म.प्र. की छिंदवाड़ा विधान सभा सीट का उपचुनाव के लिए मतदान होगा ।
- उल्लेखनीय है कि म.प्र. में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में 27 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी तथा 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी ।

म.प्र. सरकार के ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण अध्यादेश पर हाई कोर्ट की रोक

- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 19 मार्च, 2019 को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए किए गए 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी ।
- आठ मार्च 2019 को म.प्र. की कमलनाथ सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी थी ।
- न्यायमूर्ति आरएस झा व जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने चिकित्सा शिक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में साफ किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का टोटल हर हाल में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।
- वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 16 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । लिहाजा, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 14 से अधिक नहीं हो सकता । इसके बावजूद राज्य शासन ने मनमाने तरीके से अध्यादेश लाकर ओबीसी के आरक्षण का प्रतिशत 27 कर दिया, जो असंवैधानिक है ।
- संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को न केवल शिक्षा वरन नौकरी और पदोन्नति आदि में 50 फीसदी तक टोटल आरक्षण देना वैधानिक माना जाएगा ।

कमलनाथ बने प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री

- मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में कांग्रेस ने विजय प्राप्त कर वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया ।
- कमलनाथ ने हिन्दी में शपथ ली और अकेले शपथ ग्रहण किया। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी।

बता दें कि कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, शरद यादव, राकांपा के शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह जम्बूरी मैदान में हुआ।

- वे मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपने वादे के मुताबिक मध्यप्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ही 2 लाख रुपये तक के कर्जमाफी की घोषणा की थी, जिसे सरकार गठन के तुरंत बाद ही बाद अमल में लाया गया।
- गौरतलब है कि चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता किसानों की कर्जमाफी की होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि यह जीत किसानों की है। युवाओं की है। छोटे दुकानदारों की है। राहुल गांधी ने कहा कि अब बदलाव का समय है। उन्होंने कहा था कि सरकार का गठन होते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया है।
- कमल नाथ का जन्म 18 नवम्बर 1946 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था वे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं एक कुशल भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे पूर्व में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। वह वर्तमान में 16वीं लोकसभा के सदस्य एवं भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत लोकसभा सदस्यों में से एक हैं, वह मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 9 बार इसी क्षेत्र से लोक सभा में जीत दर्ज कर चुके हैं।

राजनीतिक करियर

- कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्रनाथ और माता का लीला है। देहरादून के दून स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से ग्रेजुएशन किया।
- कमलनाथ और स्वर्गीय संजय गांधी अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है उन्हीं के कहने पर कमलनाथ राजनीति में आए. 1980 में उन्होंने पहली बार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। तब से अब तक इसी सीट से 9 बार सांसद चुने जा चुके हैं।
- यूपीए सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, साल 1995 से 1996 तक केंद्र सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली।
- 2009 में यूपीए-टू में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। 2001 से 2004 तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	पं. रविशंकर शुक्ल	01.11.1956 से 13.12.1956 (43 दिन)
2.	भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई	01.01.1957 से 30.01.1957 (30 दिन)
3.	डॉ. कैलाशनाथ काटजू	31.01.1957 से 14.04.1957 15.04.1957 से 11.03.1962
4.	भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई	12.03.1962 से 29.09.1963
5.	पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र	30.09.1963 से 08.03.1967
		09.03.1967 से 29.07.1967
6.	गोविंद नारायण सिंह	30.07.1967 से 12.03.1969
7.	राजा नरेशचन्द्र सिंह	13.03.1969 से 25.03.1969 (13 दिन)
8.	श्यामाचरण शुक्ल	26.03.1969 से 28.01.1972
9.	प्रकाश चन्द्र सेठी	29.01.1972 से 22.03.1972 23.03.1972 से 22.12.1975
10.	श्यामाचरण शुक्ल	23.12.1975 से 29.04.1977
	राष्ट्रपति शासन	30.04.1977 से 25.06.1977
11.	वैरागीचन्द्र जोशी	26.06.1977 से 17.01.1978
12.	वीरेन्द्र कुमार सकलेचा	18.01.1978 से 19.01.1980
13.	सुंदरलाल पटवा	20.01.1980 से 17.02.1980
	राष्ट्रपति शासन	18.02.1980 से 08.06.1980
14.	अर्जुनसिंह	09.06.1980 से 10.03.1985 11.03.1985 से 12.03.1985 (सिर्फ एक दिन)
15.	मोतीलाल वोरा	13.03.1985 से 13.02.1988

16.	अर्जुनसिंह	14.02.1988 से 24.01.1989
17.	मोतीलाल वोरा	25.01.1989 से 06.12.1989
18.	श्यामाचरण शुक्ल	09.12.1989 से 04.03.1990
19.	सुन्दरलाल पटवा	05.03.1990 से 15.12.1992
	राष्ट्रपति शासन	16.12.1992 से 06.12.1993
20.	दिग्विजय सिंह	07.12.1993 से 30.11.1998 01.12.1998 से 08.12.2003
21.	उमा भारती	08.12.2003 से 22.08.2004
22.	बाबूलाल गौर	23.08.2004 से 28.11.2005
23.	शिवराजसिंह चौहान	29.11.2005 से 11.12.2008 12.12.2008 से 13.12.2013 14.12.2013 से 16.12.2018
24.	कमलनाथ	17.12.2018 से अब तक

अध्यात्म विभाग

- 03 जनवरी 2019 को कमलनाथ सरकार ने साधु-संतों का दिल जीतने के लिए प्रदेश में 'अध्यात्म विभाग' का गठन करने की घोषणा की है. इसमें आनंद विभाग में होने वाले तमाम कार्यों के साथ धर्म से जुड़े कामों, तीर्थ दर्शन, धार्मिक यात्रा और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को मिला दिया है।
- 'अध्यात्म विभाग' में नर्मदा न्यास, ताप्ती, मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी के न्यास का गठन, मध्यभारत गंगाजली निधि न्यास, पवित्र नदियों को जोड़ित इकाई बनाने के संबंध में कार्रवाई, राम वनगमन पथ में पड़ने वाले अंचलों का विकास सहित धर्मस्व और आनंद विभाग के अधीन आने वाले सभी विभाग काम करेंगे।
- 'अध्यात्म विभाग' में धार्मिक न्यास और धर्मस्व व आनंद विभाग को मिलाया गया है. ये विभाग भारत और प्रदेश की निश्चित संस्कृति के विकास के लिए काम करेगा. विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिनियम और नियम भी आएंगे, जो धर्मस्व विभाग के अधीन आते हैं।
- अध्यात्म विभाग' धर्मस्थानों से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों का रखरखाव, धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों और आयोजनों पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाओं पर सुझाव देने का काम भी करेगा. इसके अलावा प्रदेश और बाहर के विहित तीर्थस्थलों की यात्रा का प्रबंधन करेगा।
- विभाग धार्मिक संस्थाओं की भूमि का प्रबंधन, पुजारी, महंत और कथावाचकों की नियुक्ति और उनको हटाने की जिम्मेदारी भी निभाएगा. नगर, शहर और स्थानों को पवित्र घोषित करने का काम भी यही विभाग करेगा।

म.प्र. विधानसभा चुनाव-2018

- मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 28 नवंबर, 2018 को हुआ जिसके परिणाम 11 दिसंबर, 2018 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित किये गए।
- इस चुनाव में 15 साल के बाद कांग्रेस ने पुनः सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल किया। प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटें कांग्रेस ने जीती तथा 109 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि 7 सीट अन्य खाते में गयी।
- कांग्रेस की इस जीत के बाद 13 दिसंबर, 2018 की रात को कमलनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। वे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चुने गए। 17 दिसम्बर, 2018 को उन्होंने मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
- म.प्र. के इंदौर-2 से भाजपा के रमेश मैंदोला 71,011 वोट से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है वहीं सबसे छोटी जीत ग्वालियर दक्षिण में कांग्रेस के प्रवीण पाठक 121 वोट की रही।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराजसिंह चौहान ने कांग्रेस के अरुण यादव को 58,999 वोट से हराया।
- मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2018 में दलवार सीटों का विवरण-

पार्टी	2018	2013	अंतर
भाजपा	109	165	-56
कांग्रेस	114	58	56
अन्य	7	7	0

82 आरक्षित सीटों का परिणाम

- 2013 में 60 सीटें जीतकर भाजपा ने एकतरफा बहुमत हासिल किया था। इस बार उसे सिर्फ 34 सीटें ही मिली हैं। तब 18 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 47 सीटें जीतकर भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया है।
- **आदिवासी सीटों पर 2003 का रिकॉर्ड दोहरा नहीं सकी भाजपा**

वर्ष	आरक्षित सीटें	भाजपा	कांग्रेस	अन्य
2018	47	16	30	01
2013	47	31	15	01
2008	47	29	17	01
2003	41	37	02	02

- **अनुसूचित जाति की 28 सीटें थी 2013 में भाजपा के पास, अब 18**

वर्ष	आरक्षित सीटें	भाजपा	कांग्रेस	अन्य
2018	35	18	17	00
2013	35	29	03	03
2008	35	25	09	01
2003	34	30	03	01

- विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए फायदे वाले रहे, लेकिन भाजपा को झटका दिया। भाजपा को चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले 47,827 वोट ज्यादा मिले हैं, फिर भी उसे 30% वोट घटने से सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है।
- कांग्रेस को बसपा से गठबंधन नहीं करना फायदा दे गया। कांग्रेस को 2013 के चुनाव के मुकाबले इस बार 1.5 फीसदी वोट कम मिले हैं, जबकि निर्दलीयों के .5% वोट कम हुए हैं। सपा का 1% वोट बढ़ा है।
- इस बार चुनाव का ट्रैंड कह रहा है कि दूसरी पार्टियों (सपा, बसपा और निर्दलियों) का वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जुड़ा है, जो उसको सत्ता में ले आया है।
- 2013 तुलना में बसपा की चार सीट से घटकर दो रह गई। उसका 1.5 % वोट घटा है। बसपा से गठबंधन ना होने से कांग्रेस को फायदा हुआ। ग्वालियर चंबल में बसपा को दो लाख वोट कम मिले। फायदा कांग्रेस को हुआ।
- सपा का 1% वोट बढ़ा है। इस बार सपा को कम से कम 5 लाख वोट मिले। इसके कारण भाजपा को 13 सीटों पर नजदीकी हार का सामना करना पड़ा। सपा के जो वोट बढ़े, वो कांग्रेस को फायदा दे गए।
- राज्य विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले 87 दागी विधायक चुनकर आए हैं, जो पिछली बार से 19 अधिक हैं। 2013 में कुल 69 दागी विधायक ऐसे भी चुने गए हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, हमला, अपहरण, महिला, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें न्यूनतम सजा 5 साल तक है।
- नवगठित विधानसभा में सर्वाधिक 53 कांग्रेस के और 31 भाजपा के दागी विधायक चुनकर आए हैं। एक-एक दागी सपा, बसपा और निर्दलीय से भी जीतकर आए हैं।

एक दर्जन मंत्रियों की हार

- शिवराज सरकार के लगभग एक दर्जन मंत्रियों को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कई मंत्री ऐसे भी रहे, जो पहले राउंड से पिछड़ते रहे और अंत में पराजित हो गए। ऐसे मंत्रियों में ओमप्रकाश धुर्वे, लालसिंह आर्य, दीपक जोशी, अर्चना चिटनीस, जयभान सिंह पवैया, ललिता यादव, अंतरसिंह आर्य, रुस्तम सिंह, शरद जैन, उमाशंकर गुप्ता, बालकृष्ण पाटीदार के नाम मुख्य हैं।
- जयंत मलैया 798 वोटों से हार गए। इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज नेता भी चुनावी वैतरणी पार नहीं कर पाए। इनमें सांसद अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, पांच बार की विधायक रही निर्मला भूरिया, चौधरी राकेश सिंह, चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रेमनारायण ठाकुर, सुदर्शन गुप्ता, केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत के पुत्र जीतेन्द्र गेहलोत मुख्य है।

चार बागी जीते

- इस चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर लड़े चार प्रत्याशी भाजपा के साथ कांग्रेस पर भी भारी पड़े। इनमें सुसनेर से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंह राणा सहित तीन अन्य प्रत्याशी शामिल हैं।
- राणा को 75 हजार 804 मत मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी महेन्द्र सिंह को करीब 27 हजार मतों से परास्त किया।
- 2013 में यहां से चुनाव जीते भाजपा के मुरलीधर पाटीदार तीसरे पायदान पर रहे। पाटीदार को 43 हजार 880 मत मिले।
- भगवानपुरा में कांग्रेस के बागी कैदार डावर ने भाजपा के जमना सिंह सोलंकी को हराया। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही।
- बरासिवनी में कांग्रेस के बागी प्रदीप जायसवाल ने भाजपा के मौजूदा विधायक योगेंद्र निर्मल को हराकर कांग्रेस को चौथे नंबर पर धकेल दिया।
- इसी तरह बुरहानपुर में भाजपा की मौजूदा विधायक और मंत्री अर्चना चिटनीस को सुरेन्द्र सिंह ने पांच हजार से ज्यादा मतों से हरा दिया। सुरेन्द्र कांग्रेस के बागी है और इनके कारण ही इस सीट पर कांग्रेस तीसरी पार्टी रही।

मध्यप्रदेश में हुआ 75.05 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान

- मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिये हुये निर्वाचन में 75.05 प्रतिशत मतदान हुआ है। प्रदेश में यह अभी तक का सर्वाधिक मतदान है।
- प्रदेश में 65 हजार 367 मतदान केन्द्रों पर 28 नवंबर को मतदान हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 4 लाख 33 हजार 79 है, जिसमें कुल 3 करोड़ 78 लाख 52 हजार 213 मतदाताओं ने मतदान किया। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 99 लाख 86 हजार 978 पुरुष 1 करोड़ 78 लाख 64 हजार 900 महिला और 335 अन्य मतदाताओं ने मतदान किया है।
- प्रदेश में सबसे अधिक मतदान छिंदवाड़ा जिले में 83.92 प्रतिशत और सबसे कम भिंड जिले में 61.49 प्रतिशत मतदान हुआ।

विधानसभा चुनाव में दो हजार 899 प्रत्याशी मैदान में

- विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश में 2 हजार 899 प्रत्याशी है। इनमें 2 हजार 644 पुरुष, 250 महिलायें और 5 अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे।
- इनमें सामान्य वर्ग के 1 हजार 794 अनुसूचित जाति वर्ग के 591 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 514 प्रत्याशी चुनाव लड़े।
- छतरपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 में 16 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 7 महिला प्रत्याशी और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 में 34 प्रत्याशियों में से 33 पुरुष प्रत्याशी है। विधानसभा चुनाव में 65 हजार 367 कंट्रोल यूनिट, 78 हजार 870 बैलेट यूनिट और 65 हजार 367 वीवीपैट उपयोग किया गया है। प्रदेश के 45 विधानसभा क्षेत्रों में 2 बैलेट यूनिट और 2 विधानसभा क्षेत्र अटेर और मेहगांव में 3 बैलेट यूनिट उपयोग की गई।

विधानसभा चुनाव 2018 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रदेश में 11 सीटें ऐसी रहीं, जो गेम चेंजर साबित हुई और कांग्रेस को जादुई आंकड़े तक पहुंचाया। इन सीटों पर कांग्रेस के विधायक 2000 से भी कम वोटों से जीते।
- पहला मौका जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सुबह 4 बजे तक भी नहीं आए। इससे पहले नतीजे रात 10 बजे तक आ ही जाते थे।
- प्रदेश में पहली बार आम चुनाव में वीवीपैट मशीन का उपयोग हुआ, इस मशीन की पर्चियों को आयोग के लिए साक्ष्य के रूप में 45 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।
- भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर पहली बार देखने को मिली। जब कभी भाजपा का पलड़ा भारी होता दिखा तो कभी कांग्रेस पार्टी फतह करती दिखाई दी।
- मध्यप्रदेश में दो बार ही ऐसे हालात बने जब कांग्रेस सत्ता के नजदीक तो पहुंची, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पहली बार ऐसा मौका 1962 में आया था, जब प्रदेश में 288 सीटें थीं और कांग्रेस को 142 सीटें मिली थीं, अधिकतर सीटों पर निर्दलीय और जनसंघ ने जीत दर्ज की थी। दूसरा मौका 2018 में आया, जब जादुई आंकड़े 116 से कांग्रेस को 2 सीटें कम मिली।

मतदाता जागरूकता विषयक 4 नेशनल मीडिया अवार्ड देगा भारत निर्वाचन आयोग

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को वर्ष 2018 में शिक्षित और जागरूक करने के लिये किये गये बेहतर कार्य के लिये नेशनल मीडिया अवार्ड दिये जायेंगे। नेशनल मीडिया अवार्ड के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया हाउसेस से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। यह अवार्ड वर्ष 2018 के दौरान मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के अभियान में बेहतर योगदान के लिये दिये जायेंगे।
- प्रिंट मीडिया, टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक), रेडियो (इलेक्ट्रॉनिक) और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया के लिये यह 4 अवार्ड दिये जायेंगे। आयोग द्वारा इन अवार्ड के लिये प्रविष्टि भेजने की तिथि पूर्व में 30 नवम्बर 2018 नियत की गई थी, जिसे बढ़ाकर 14 दिसम्बर 2018 कर दिया गया है। अब अवार्ड के लिये 14 दिसम्बर तक प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं।
- मीडिया हाउस द्वारा मतदाताओं की निर्वाचन में सहभागिता और जागरूकता बढ़ाने, उन्हें शिक्षित करने और मतदान प्रक्रिया से अवगत कराने के साथ ही आमजन में मतदाता बनने और मतदान करने के महत्व को समझाने के क्षेत्र में दिये गये योगदान को अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जायेगा। अवार्ड स्वरूप साइटेशन और स्मृति-पट्टिका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 को आयोजित समारोह में प्रदान किये जायेंगे।
- अवार्ड का चयन ज्यूरी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। इसमें मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता, कव्हरेज की संख्या और विस्तार, आमजन पर हुए प्रभाव के प्रमाण और अन्य संबंधित फैक्टर्स को शामिल किया जायेगा।

म.प्र. का 52वाँ जिला निवाड़ी अस्तित्व में आया

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जिलों के गठन के क्रम में एक और संख्या की बढ़ोत्तरी हो गई, जिसे मिलाकर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 52 हो गई।
- प्रदेश का 52वाँ जिला निवाड़ी को बनाया गया है, जो अब तक टीकमगढ़ जिले की एक तहसील हुआ करती थी।
- निवाड़ी प्रदेश के 52वें जिले के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 को विधिवत तरीके से अपने अस्तित्व में आ गया।
- वास्तव में 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने निवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा की थी, तत्पश्चात राजस्व विभाग ने अगस्त, 2016 में प्रस्ताव भी मांगा था।
- इसके बाद औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जुलाई, 2018 के प्रथम सप्ताह में गजट नोटिफिकेशन कर दावे-आपत्तियाँ बुलायी गयी।
- 29 सितंबर, 2018 को मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निवाड़ी को प्रदेश के 52वें जिले की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- इसी के साथ 29 सितंबर, 2018 को म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन कर निवाड़ी को विधिवत जिला बनाया गया।
- म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार क्र. एफ-1-9-2018 -सात-6-मध्यप्रदेश भू-राजस्व, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, टीकमगढ़ जिले की सीमाओं को उसमें से उसकी तहसील पृथ्वीपुर, निवाड़ी एवं ओरछा को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा इन तहसीलों को समाविष्ट करते हुए एक नवीन जिला निवाड़ी का सृजन दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से करती है, उक्त जिले का मुख्यालय निवाड़ी में होगा।
- नये जिले के अंतर्गत पृथ्वीपुर तहसील की 56 पंचायतें, निवाड़ी की 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई। इस प्रकार यहां कुल 127 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं।
- इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 4 लाख एक हजार होगी।
- निवाड़ी के नया जिला बनने से म.प्र. के जिलों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या क्रम में बदलाव हो गये हैं।
- अब मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी (1318 वर्ग किमी.) हो गया है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी (401000 जनसंख्या) है।
- निवाड़ी के मूल जिले टीकमगढ़ का कुल क्षेत्रफल 5048 वर्ग किमी. था जिसमें से 1318 वर्ग किमी. (5048-1318) क्षेत्र नये जिले में चला गया और टीकमगढ़ का क्षेत्रफल 3730 वर्ग किमी. रह गया।
- इसी तरह टीकमगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 14,45,166 में से 401000 जनसंख्या नये जिले में चले जाने से जिले की जनसंख्या घटकर 10,44,166 रह गयी।
- इस प्रकार प्रदेश के ओवर आल जिलों की रैंकिंग में परिवर्तन हो गया है साथ ही सागर संभाग के जिलों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है।
- इसी तरह टीकमगढ़ जिले की 10 तहसीलों में से 3 तहसीलें नये जिले में चली गयी हैं।
- तहसीलों की संख्या की दृष्टि से भी निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।
- निवाड़ी जिला बनने से शेष बचे टीकमगढ़ के राजस्व पर भी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि जिले का एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा निवाड़ी में चला गया।
- जिले में खनिज से सबसे ज्यादा राजस्व प्रतापपुरा से ही प्राप्त होता है। यहीं से खनिज विभाग को कुल राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होता है।
- इसके साथ ही संपत्ति के पंजीयन से प्राप्त होने वाला राजस्व भी लगभग 30 प्रतिशत कम हो जायेगा।
- निवाड़ी के जिला बन जाने के बाद टीकमगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा अब नये जिले का हिस्सा बन गया है।
- ओरछा के अलावा निवाड़ी तहसील में स्थित गढ़कुंडार का प्रसिद्ध किला तथा पृथ्वीपुर तहसील स्थित अछरू माता का प्रसिद्ध मंदिर भी अब नये जिले निवाड़ी में चले गए।
- तीन तहसीलों के साथ दो विकासखण्ड निवाड़ी और पृथ्वीपुर भी नये जिले में शामिल हो गए।
- निवाड़ी जिले में दो जनपद पंचायतें निवाड़ी और पृथ्वीपुर हैं।
- टीकमगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से दो विधानसभा सीटें निवाड़ी और पृथ्वीपुर नवीन जिले में चली गयी।
- निवाड़ी के गठन से उत्तरप्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गयी है।
- निवाड़ी जिले के गठन के बाद प्रदेश के जिलों का क्रम क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से इस प्रकार है.
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 5 जिले

  (1) निवाड़ी (1318 वर्ग किमी)
  (2) भोपाल (2772 वर्ग किमी.)
  (3) आगर-मालवा (2785वर्ग किमी.)
  (4) दतिया (2902 वर्ग किमी.)
  (5) अलीराजपुर (3182 वर्ग किमी.)

- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले-
  (1) छिंदवाड़ा (11815 वर्ग किमी.) (2) सागर (10252 वर्ग किमी.)
  (3) शिवपुरी (10066 वर्ग किमी.) (4) बैतुल (10043 वर्ग किमी.)
  (5) बालाघाट (9229 वर्ग किमी.)
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे 5 जिले
  (1) निवाड़ी - 401000 (2) आगर-मालवा - 4,80000
  (3) हरदा - 5,70,465 (4) अमरिया - 6,44,758
  (5) श्योपुर - 6,87,861
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले
  (1) इंदौर - 32,76,697 (2) जबलपुर - 24,63,289
  (3) सागर - 23,78,458 (4) भोपाल- 23,71,061
  (5) रीवा - 23,65,106

निवाड़ी जिला : एक नजर में

- **स्थापना** - 01 अक्टूबर, 2018
- **भौगोलिक स्थिति** - 25° 43' उत्तरी अक्षांश से 79°81' पूर्वी देशांतर
- **जिला मुख्यालय** - निवाड़ी
- **संभाग** - सागर
- **मूल जिला** - टीकमगढ़
- **तहसीलें (3)** - निवाड़ा, पृथ्वीपुर तथा ओरछा
- **विकासखण्ड (2)**- निवाड़ी तथा पृथ्वीपुर
- **जनपद पंचायतें (2)** - निवाड़ी और पृथ्वीपुर
- **क्षेत्रफल** - 1318 वर्ग किमी.
- **जनसंख्या** - 401000
- **भाषा (ऑफिशियल)** - बुंदेली व हिन्दी
- **एरिया पिनकोड**- 472442
- **वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर** - MP-71
- **ISO Code** - 3166 InMP
- **टैलीफोन कोड** - 91-7680
- **मुख्य विशेषता**- जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।
- **जिले के प्रथम कलेक्टर** - श्री अक्षय कुमारसिंह
- **जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक** - श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव
- **मुख्य पर्यटन स्थल**- ओरछा

सपाक्स बनी राजनीतिक पार्टी

- सपाक्स समाज संस्था (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था) ने 2 अक्टूबर, 2018 को 'सपाक्स पार्टी' की विधिवत घोषणा कर दी।
- पार्टी ने अपना ध्वज (झंडा) जारी कर प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार उतारने का एलान भी किया।
- पार्टी की घोषणा सपाक्स समाज संस्था के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अफसर डॉ. हीरालाल त्रिवेदी ने की। अब वे पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और समाज संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे।
- पार्टी पदाधिकारियों ने सत्ता में आने पर पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है।
- सेवानिवृत्त आईएएस अफसर वीणा घाणेकर ने पार्टी में आस्था जताते हुए भूमि सुधार आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सपाक्स पार्टी में उपाध्यक्ष बनाई गई हैं।
- सेवानिवृत्त आईपीएस विजय बाते, सेवानिवृत्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. केशल साहू को उपाध्यक्ष, इंजीनियर पीएस परिहार को पार्टी का संयोजक चुना है।

पीथमपुर तहसील कार्यालय का उद्घाटन

- 5 अक्टूबर, 2018 को म.प्र. के धार जिले का पीथमपुर के नई तहसील कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही पीथमपुर प्रदेश की नवीन तहसील के रूप में स्थापित हो गया है।
- पीथमपुर को तहसील घोषित करने और 29 सितंबर, 2018 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नगर को तहसील का दर्जा प्राप्त हो गया है।
- कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ 5 अक्टूबर, 2018 को हुआ।
- धार तहसील से अलग करते हुए पीथमपुर तहसील में 213 गाँव शामिल किए गए हैं। राजस्व निरीक्षक मंडल नालछा और राजस्व निरीक्षक मंडल सागौर के 33 पटवारी हल्के इसमें शामिल होंगे।
- इनमें पटवारी हल्का क्रमांक 46 से 49, 56 से 73 एवं 76 से 86 है।
- नई तहसील कार्यालय का शुभारंभ सागौर कुटी स्थित राजस्व निरीक्षक और पटवारी कार्यालय में किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सागौर नई तहसील का सेंटर है।
- नई तहसील के प्रथम तहसीलदार विनोद राठौर होंगे।

39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी दी।
- इसमें इन्दौर में मल्हारगंज,खुडैल, भिचौलीहप्सी, राउ, कनाड़िया, जबलपुर में गोरखपुर, आधारताल, रांझी, ग्वालियर में तानसेन, मुरार, सिटी सेन्टर, उज्जैन में कोठी महल, उज्जैन नगर, देवास में देवास नगर, सतना में रघुराजनगर, सागर में सागर नगर, रतलाम में रतलाम नगर, रीवा में हुजूर नगर, कटनी में कटनी नगर, सिंगरौली में सिंगरौली नगर, बुरहानपुर में बुरहानपुर नगर, खण्डवा में खण्डवा नगर, मुरैना में मुरैना नगर, भिण्ड में भिण्ड नगर, गुना में गुना नगर, शिवपुरी में शिवपुरी नगर, छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा नगर, विदिशा में विदिशा नगर, छतरपुर में छतरपुर नगर, मंदसौर में मंदसौर नगर, दमोह में दमयंती नगर, नीमच में नीमच नगर, होशंगाबाद में होशंगाबाद नगर, खरगोन में खरगोन नगर, सीहोर में सीहोर नगर, बैतूल में बैतूल नगर, सिवनी में सिवनी नगर, दतिया में दतिया नगर और भोपाल में कोलार नवीन नगरीय तहसीलों में शामिल किया गया है।
- नवीन तहसीलों का संचालन 01 जनवरी 2019 से शुरू किया जायेगा।

दतिया बनेगा नगर निगम

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नगर पालिका परिषद दतिया को नगर पालिक निगम के रूप में गठित करने की अनुसंशा कर प्रस्ताव राज्यपाल को स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा दतिया शहर को नगर तहसील बनाने के निर्णय का दतियावासियों ने स्वागत किया।
- दतिया में शेष पुनर्गठित तहसील दतिया (ग्रामीण) होगी। इस निर्णय के फलस्वरूप दतिया नगर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और यहाँ नगरीय क्षेत्र के विस्तार से नगर निगम के लिए मान्य मापदण्ड लागू होंगे।
- एक जनवरी 2019 से नव-सृजित तहसील अस्तित्व में आयेगी।

मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018 का अनुमोदन

- 1 अक्टूबर, 2018 को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में विमानन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018 का अनुमोदन किया । इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विमानन सेवाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है ।
- नई नीति का उद्देश्य देश के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना है ।
- नीति में विभिन्न श्रेणी के एयर क्रॉफ्ट के लिए अनुदान राशि भी निर्धारित की गई ।
- प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए केन्द्र की उड़ान योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के प्रावधानों को शामिल करते हुए कैबिनेट ने म.प्र. की वायु सेवा नीति-2018 को मंजूरी दी है ।
- इसके साथ ही नई वायु सेवा नीति के तहत डीजीसीए से रजिस्टर्ड एयरलाइंस प्रदेश में हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से जुड़े शहरों में विमान सेवाएँ शुरु कर सकेंगी ।
- ये कंपनियाँ यात्रियों से एक घंटे की हवाई यात्रा के लिए 2500 रुपए किराया ही वसूल सकेंगी । इसके लिए नागरिक विमानन मंत्रालय बिड जारी करेगा ।
- यदि कोई एयरलाइंस किसी रीजनल रूट का किराया 3000 रुपए निर्धारित करती है, तो इसमें 500 रुपए की राशि राज्य सरकार अदा करेगी । इस राशि में 80 फीसदी (400 रुपए) का भुगतान केन्द्र और 20 फीसदी (100 रुपए) का भुगतान राज्य सरकार करेगी ।

अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में म.प्र. सरकार की अनेक घोषणाएँ

- म.प्र. के ग्वालियर में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त, 2018 को हो गया । उनकी स्मृति में म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 13 अगस्त, 2018 को राजधानी भोपाल में अनेक घोषणाएँ की । प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं -
  (1) पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को सहेजने के लिए ग्वालियर स्थित गोरखी स्कूल में म्यूजियम बनेगा, जहाँ अटलजी की प्रतिमा लगाई जाएँगी ।
  (2) स्कूली पाठ्यक्रम में अगले साल से ही अटलजी की जीवनी शामिल की जाएगी ।
  (3) भोपाल और इंदौर में अटल स्मृति वन बनाए जाएंगे ।
  (4) भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नामकरण अटलजी के नाम पर होगा।
  (5) इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विश्वस्तरीय लाइब्रेरी का निर्माण अटलजी की स्मृति में होगा । यहां युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर कोचिंग, शोध और सामाजिक चिंतन का केन्द्र बनाया जाएगा ।
  (6) भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नामकरण अटलजी के नाम पर करने के लिए केन्द्र सरकार से बात करेंगे ।
  (7) ग्वालियर के रमौआ डेम के पास स्मारक बनाने की योजना विदिशा मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा ।
  (8) मुख्यमंत्री ने पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर आधारित तीन पुरस्कारों की घोषणा भी की । राष्ट्रीय स्तर के पाँच-पाँच लाख रुपए के ये पुरस्कार एक उदीयमान कवि को, दूसरा पत्रकारिता में बेहतर योगदान देने वाले पत्रकार को और तीसरा सुशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ अफसर को दिया जाएगा ।
  (9) प्रदेश में 47-47 करोड़ रुपए की लागत से चार सर्वोदय विद्यालय बन रहे हैं, जिनका नामकरण भी अटलजी के नाम पर किया जाएगा।

इंदौर एयरपोर्ट को नेशनल टूरिज्म अवॉर्ड

- इंदौर स्थित देवी अहिल्या विमानतल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने नेशनल टूरिज्म अवॉर्ड 2016-17 के लिए चुना है ।
- यह अवॉर्ड 27 सितंबर, 2018 को दिल्ली में दिया गया ।
- केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय हर साल देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय काम करने वाले एयरपोर्ट को यह अवॉर्ड देता है ।
- इंदौर एयरपोर्ट पर अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच इस तरह के कार्यों को देखते हुए म.प्र. पर्यटन विकास निगम ने इस अवार्ड के लिए इसका नाम भेजा था ।

मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 अनुमोदित

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 4 सितंबर, 2018 को मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश रेत खनिज नीति 2017 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 को अनुमोदित किया। इसके अनुसार सभी नई रेत खदानें ग्राम पंचायतों द्वारा ही संचालित होंगी। अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण के प्रकरणों में वाहन, मशीनरी को राजसात करने के लिये द्वितीय बार पकड़े जाने पर अनिवार्य राजसात करने का प्रावधान नियमों में किया गया है। रेत के भण्डारण की अनुज्ञा की प्रक्रिया अत्यंत सरल की गई है।
- मंत्रि-परिषद ने विदेशों या अन्य राज्यों से मण्डी क्षेत्र में दाल मिलों के द्वारा प्र-संस्करण के लिये आयातित अधिसूचित दलहन यथा उड़द/उड़द, मूंग, तुअर/अरहर, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी पर देय मण्डी फीस से छूट की अवधि अधिसूचना प्रकाशन 1 अगस्त 2018 से आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया ।
- मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी संचालन विकास एवं विस्तार गतिविधियाँ योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की अनुमति दी।
- मंत्रि-परिषद ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण के मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजना को निरंतर रखने के संबंध में वर्ष 2017-18 में 350 करोड़, 2018-19 में 233 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 से 117 करोड़ के व्यय की मंजूरी दी।
- मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक की है। अभी तक 5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिये प्रचलित वाटर सर्विसेस योजना को वर्ष 2018 से 2022 तक निरंतर रखने के लिये कुल राज्यांश 58 करोड़ 78 लाख रुपये की मंजूरी दी।
- मंत्रि-परिषद ने संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के 96 पदों को भरने की मंजूरी दी और नियुक्ति आदेश जारी करने के लिये निर्धारित समय- सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

- मंत्रि-परिषद ने बैतूल जिले की वर्धा सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 5700 हेक्टेयर के लिये 155 करोड़ 28 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रि-परिषद ने 4 सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूर किये 557.61 करोड़

मगरौनी बनेगा नगर परिषद

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 30 जुलाई, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मगरौनी को नगर परिषद स्वरूप में गठित करने की अनुशंसा राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रि-परिषद ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित किशोरी बालिका योजना को प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के लिये रू. 209 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद द्वारा पारगमन उन्मुख विकास नीति-2018 का अनुमोदन

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 30 जुलाई, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पारगमन उन्मुख विकास नीति-2018 (टीओडी नीति) का अनुमोदन किया गया।
- प्रदेश के शहर, शहरीकरण के बढ़ते दबाव और यातायात एवं परिवहन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये एक राज्य स्तरीय टीओडी नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया। नीति में नगरीय क्षेत्रों में स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने के लिये नगरीय तथा परिवहन से संबंधित हो रही समस्याओं को इस नीति के माध्यम से हल किया जायेगा।
- टीओडी नीति नागरिकों के निवास-स्थल एवं कार्य-स्थल के मध्य संबंध सुधारने के लिये सार्वजनिक परिवहन की दक्षता और स्थिरता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- मुख्यमंत्री ने किया मुलताई में 265.28 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन।
- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैतूल जिले के मुलताई में 72 करोड़ 37 लाख रूपए की लागत से निर्मित पारसडोह बांध का लोकार्पण तथा 206 करोड़ 49 लाख से निर्मित होने वाले पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई पद्धति प्रोजेक्ट और 6 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत वाले घाटबिरौली प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुलताई के छात्र-छात्राओं के तकनीकी कौशल विकास के लिये आईटीआई खोली जाएगी तथा कॉलेज में साइंस विषय भी पढ़ाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को सोयाबीन के विक्रय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सोयाबीन का वाजिब दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पांच एकड़ जमीन वाले किसान भी सम्बल योजना में शामिल होंगे। किसानों को भविष्य में पानी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जिले में जहां-जहां आवश्यकता होगी, वहां-वहां बांध बनाए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुलताई क्षेत्र में निर्मित पारसडोह डेम से मुलताई, प्रभातपट्टन, आठनेर एवं बैतूल विकासखण्ड की 9990 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होगी।
- मुख्यमंत्री ने भैंसदेही महाविद्यालय में एमए पाठ्यक्रम आरंभ करने और भीमपुर में आईटीआई भवन निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर सांसद श्री प्रभात झा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉ. हितेष बाजपेयी, बैतूल की सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, विधायक बैतूल श्री हेमन्त खण्डेलवाल, विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक भैंसदेही श्री महेन्द्र सिंह चौहान सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर बनेगी नगर पंचायत

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 सितंबर, 2018 को बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में आयोजित सभा में शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी को नगर पंचायत बनाने तथा घोड़ाडोंगरी में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान घोड़ाडोंगरी में 37 करोड़ की लागत से बने लगभग15 किमी लंबे घोड़ाडोंगरी-बरेठा मार्ग एवं 65.13 लाख रूपए की लागत से बने थाना भवन चीचोली का लोकार्पण किया। साथ ही 60 सीटर बालक-बालिका छात्रावास और आईटीआई भवन का भूमिपूजन किया।

सात नई तहसील सृजन की मंजूरी

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 18 सितंबर, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तहसील देवरी जिला रायसेन, तहसील खुजनेर जिला राजगढ़, तहसील सुठालिया जिला राजगढ़, तहसील रन्नौद जिला शिवपुरी, तहसील झारड़ा जिला उज्जैन, तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर और तहसील पीथमपुर जिला धार का सृजन करने का निर्णय लिया है। सृजित की गई प्रत्येक नई तहसील के लिये आवश्यक पदों के सृजन की मंजूरी भी दी गई है।

आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को मंजूरी

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 31 जनवरी, 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।
- निर्णय अनुसार 01 अप्रैल, 2018 से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स हॉस्टल/छात्रावास एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक अवस्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
- राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉपबार एक अप्रैल से बंद कर दिये जायेंगे।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अंतर्गत पवित्र नदियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- ऐसे स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा। मदिरा पीकर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध घटित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदिरापान का लाभ न दिया जाकर वर्धित दंड शास्ति के प्रावधान भारतीय दंड विधान संहिता में किये जाने के लिए गृह विभाग से अनुशंसा की जायेगी।
- आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए निष्कासन करने का अधिकार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

मार्ग सुविधा केन्द्र नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला प्रदेश

- मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ अपनी मार्ग सुविधा केन्द्र नीति है । प्रदेश में आने-जाने वाले पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 'मार्ग-सुविधा केन्द्र नीति-2016' लागू की गई है।
- निजी निवेशकों के माध्यम से योजना बनाकर 300 से अधिक मार्ग सुविधाएँ विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है । मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मार्ग-सुविधा केन्द्र नीति क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है ।
- प्रदेश में ब्राउन फील्ड मॉडल में 52 नए मार्ग सुविधा केन्द्र तैयार किए जाकर 31 निजी निवेशकों को आवंटित भी किये जा चुके हैं । निजी निवेशकों द्वारा 17 मार्ग-सुविधा केन्द्रों का संचालन भी शुरु किया गया है ।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा घोषित 13 नवीन नगर परिषदें

- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन नगर परिषदों के गठन की घोषणा अलग-अलग समय पर की गई थी, जिनके गठन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र असाधारण में निम्न प्रकार प्रकाशित की गई -
- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतदद्वारा, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर परिषद, **घोड़ाडोंगरी** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत का विवरण
1	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी	ग्राम पंचायत घोड़ाडोंगरी

- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर परिषद् का गठन करती है अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत का विवरण
1	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	ग्राम पंचायत शाहपुर

- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर परिषद् **सुरखी** का गठन करती है अर्थात् -

सारणी

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण
1	सागर	सागर	सुरखी	(1) ग्राम पंचायत सुरखी (2) ग्राम पंचायत बिदवांस (3) ग्राम पंचायत, चतुर्भटा (4) ग्राम पंचायत, भिड़वासा (5) ग्राम पंचायत करैया

- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर परिषद् **निवाली बजुर्ग** का गठन करती है अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण
1	बड़वानी	निवाली	निवाली बुजुर्ग	(1) ग्राम पंचायत निवाली बुजुर्ग (2) ग्राम पंचायत निवाली खु. (3) ग्राम पंचायत, मंसुर (4) ग्राम पंचायत, तलाब (5) ग्राम पंचायत कुसम्या

- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वार नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **सिराली** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	हरदा	सिराली	सिराली	(1) सिराली
2			रामपुरा	(1) रामपुरा (2) विक्रमपुर
3			मुहाड़िया	(1) क्राम बंदी (2) मुहाड़िया

- 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **बिलहारा** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	सागर	जैसीनगर	बिलहरा	(1) बिलहरा
2			केवलारी	(2) सिमरिया
3			पिपरिया	(1) पिपरिया
			मुहाड़िया	(2) टेकापार
4			सींगना	(1) सींगना
5			खुरईखावरी	(1) खुरईखावरी
6			महुआखेड़ा	(1) महुआखेड़ी
7			बेरखेड़ीमाड़िया	(1) बम्होरी

➢ 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **मालनपुर** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	भिण्ड	गोहद	मालनपुर	(1) मालनपुर
				(2) हरीराम का पुरा
2			गुरीखा	(1) खुमान का पुरा
3			लहचूरा	(1) लहचूरा का पुरा
4.			सिंघवारी	(1) सिंघवारी
				(2) चिरौंजी
				(3) तिलौरी

➢ 4 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **गंधवानी** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	धार	गंधवानी	गंधवानी	(1) गंधवानी
2			बारिया	(1) बारिया
				(2) गोंदहपुरा
3			सातअमरी	(1) सातअमरी
				(2) गरवाल
				(3) घनतालाब
4			खेड़ी बुजुर्ग	(1) खेड़ी बुजुर्ग
5			कोसदाना	(1) कोसदना
				(2) वासली
6.			पानवा	(1) पानवा

➢ 29 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **बाग** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	धार	कुक्षी	बाग	(1) बाग
2			जामन्यापुरा	(1) जामन्यापुरा
				(2) रिसाला
3			महाकालपुरा	(1) महाकालपुरा
				(2) रायसिंगापुरा
4			आगर	(1) आगर
5			नीमखेड़ा	(1) नीमखेड़ा
				(2) ढेकलिया
6			बाणदा	(1) बाणदा
				(2) गौगिया

➢ 29 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **रौन** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	भिण्ड	रौन	रौन	(1) ग्राम पंचायत, गौरई
				(2) ग्राम पंचायत, महदवा
				(3) ग्राम पंचायत, बिरखड़ी
				(4) ग्राम पंचायत, दंदावली नं. 1
				(5) ग्राम पंचायत, ररुआ नं. 1
				(6) ग्राम पंचायत, रौन

➢ 29 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **गुनौर** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	पन्ना	गुनौर	गुनौर	(1) गुनौर
				(2) सिली
				(3) पहेरी

➢ 29 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् **केवलारी** का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण
1	सिवनी	केवलारी	केवलारी	(1) ग्राम, पंचायत केवलारी (2) ग्राम पंचायत, बोथिया (3) ग्राम पंचायत, डीब (4) ग्राम पंचायत, मलारा (5) ग्राम पंचायत, बिनैकी (6) ग्राम पंचायत, ठीकरांजी (7) ग्राम पंचायत, बगलई

➢ 20 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् डभौरा, जिला रीवा का गठन करती है, अर्थात् -

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ ग्रामों का विवरण
1	रीवा	डभौरा		डभौरा, मझियारी पटेली, बन्दे, छमुहा
2		अकोरिया		अकोरिया, देवपुजा
3		मगदौर		मगदौर, चुनगी
4		गेदुरहा		गेदुरहा, जिरौहा, भैसहरी खुर्द, भैसहरी कलां, गुमारी
5		कोटा		कोटा, मनिकाडाड़ घुरकुच
6		पनवार		पनवार कला
7		लटियार		लटियार, बहिलपुर्वा

उद्योग संवर्धन नीति

➢ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जायेगा। उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किये गये हैं। म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिये नियमों में संशोधन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिये प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओं को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 120 करोड़ रुपये की सीमा तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की।

❑❑❑